

प्रेषकः

प्रशान्त त्रिवेदी,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

- १— निदेशक/प्रधानाचार्य, समस्त राजकीय चिकित्सा सहायितालय,
उ० प्र०।
- २— समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षका,
जिला महिला/पुरुष चिकित्सालय।

चिकित्सा अनुभाग—१

लखनऊ : दिनांक १८ अप्रैल, २००८

बिषय— उत्तर प्रदेश राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री द्वारा नियंत्रण में भर्ती करने के बारे में।

महोदय,

उपर्युक्त के सम्बन्ध में मुझ यह कहने का निर्देश हुआ है कि राष्ट्रीय एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के परिपत्र संख्या—टी—१२०११/१/२००६, —नाको(बी०एस०), दिनांक ०९.०१.२००६ व तदाधिष्ठापित परिपत्र संख्या—टी—१२०१५/३०/२/१२, —नाको(बी०एस०), दिनांक २३.०१.२००९ के द्वारा निम्नलिखित निर्देश दिये गये हैं—

- १— राजकीय एवं स्थानिक रक्तकोषों द्वारा अपने अस्पताल में भर्ती मरीं या अन्य राजकीय एवं स्थानिक रक्तकोषों को रक्त यूनिट प्रदान करने पर सार्वेस चर्ज के रूप में जात्र रु० ८५०/- (आठ सौ पचास रुपये मात्र) प्रति यूनिट दिया जायेग।
- २— थेलेसेजिया तथा ठीनोस्ट्रीजिया से प्रसित रोगियों को घार-घार रक्त चार्जने की आवश्यकता के दृष्टिगत उनको नियुक्त रक्त यूनिट उपलब्ध कराया जाय।
- ३— उपर्युक्त के अतिरिक्त रक्त अवयव हेतु निम्नानुसार चार्ज दिया जारे गा—
 क— पैकड रेड प्लेस/होल ब्लड
 (packed Red Cells/Whole Blood) - रु० ८५०/- प्रति यूनिट
 ख— फेश फ्रॉजेन प्लाज्मा
 (Fresh Frozen Plasma) - रु० ४००/- प्रति यूनिट
 ग— प्लांटिलेट कन्सेंट्रेट
 (Platelet Concentrate) - रु० ४००/- प्रति यूनिट
 घ— क्रियोप्रिसिटेट
 (Cryoprecipitate) - रु० २००/- प्रति यूनिट

- ४— नाको सहयोगिता राजकीय रक्त कोषों में शुल्क/चार्ज संशोधन/परिवर्तन उ० प्र० राज्य ब्लड द्रान्सफ्यूजन कौसिल के अनुमोदनोंपरान्त दिया जा सकता है।
- ५— उ० प्र० राज्य ब्लड द्रान्सफ्यूजन कौसिल के सूचीकरण के लिए ब्लड एक सार्वेस चार्ज का १५ प्रतिशत कारपस फन्ड (Corpus Fund), उ० प्र० राज्य ब्लड द्रान्सफ्यूजन कौसिल के खाते में जमा किया जायेगा।

६- कार्पोरेट सेक्टर के चिकित्सालयों द्वारा संचालित ब्लड बैंक तथा कामार्डेयल ब्लड बैंक उपयुक्त प्रस्तर - ३ में ऊर्वलाखित दर के अनुसार सर्विस चार्ज ग्रहण करेंगे।

७- यदि कार्पोरेट सेक्टर/ प्राइवेट चिकित्सालयों के द्वारा अपने ब्लड बैंक संचालित न किये जा रहे हों तो वे सरकारी अस्पताल के ब्लड बैंक अधिकार स्वैच्छक संगठनों द्वारा संचालित ब्लड बैंक से रक्त प्राप्त कर सकेंगे। ऐसे नामलों ने प्राइवेट नर्सिंग होम्स/ कार्पोरेट चिकित्सालय द्वारियों से उतना ही सर्विस चार्ज लेंगे जितना कि उनके द्वारा रक्त प्राप्त करने हेतु ब्लड बैंक को भुगतान किया गया हो। अनिवार्य परीक्षण के अतिरिक्त अन्य परीक्षणों के लिये उनके द्वारा अलग से चार्ज कियां जा सकेंगा।

८- राजकीय चिकित्सालयों में चिकित्सा सेवा शुल्कों के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-१८४/५-१-२०००-४(८०)/८५, दिनांक २८.०६.२००० एवं तदविषयक समय-सनय पर निर्गत आदेशों तथा इसी प्रकार की व्यवस्था राजकीय निदेशकल, कालेजों से सम्बद्ध चिकित्सालयों के बारे में यदि कोई हो तो उनका उक्त आदेशों से कोई सम्बन्ध नहीं होगा। यह पुनः स्पष्ट किया जाता है कि नाको के दिशा निर्देशों के अनुरूप निर्गत किये जा रहे निर्देश अलग श्रेणी में माने जायेंगे।

९- कृपया उक्त निर्देशों का कङ्डार्ड से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

(प्रशान्त त्रिवेदी)
सचिव।

संख्या- ४३४(१)/पॉष-१-०८, राष्ट्रदिनांक,

प्रतिलिपि निम्नलिखित क्रम सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

- १- परियोजना निदेशक, उ० प्र० राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी।
- २- महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्थास्थ सेवादें, उ० प्र०।
- ३- निदेशक, निकित्सा उपचार, उ० प्र०।
- ४- औषधि नियंत्रक, उ० प्र०।
- ५- सनस्त सुन्दर चिकित्साधिकारी, उ० प्र०।
- ६- समस्त प्रभारी रक्तकांष, राजकोय चिकित्सालय/चिकित्सा महाविद्यालयों तथा उत्तरपति साहू जी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय से सम्बद्ध चिकित्सालय।
- ७- समस्त ए०आ०टी० केन्द्र।
- ८- चिकित्सा अनुभाग-८।
- ९- चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-१/३
- १०- गार्ड बुक।

आज्ञा से,